लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 824

दिनांक 05.02.2021 को जवाब दिया

शिल्प संकुलों की स्थापना

824. श्री डी.एन.वी. सेंथिल कुमार एस.:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समावेशी और सतत विकास के लिए नवीन डिजाइन, प्रोद्यौगिकी और क्षमताओं के साथ शिल्प संकुलों की स्थापना की है और यदि हां, तो शिल्प संकुलों द्वारा प्राप्त उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यशील शिल्प संकुलों की संख्या कितनी है और राज्यवार विशेषकर तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में उक्त संकुलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कार्य कर रहे लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान शिल्प संकुलों की स्थापना हेतु प्रदत्त/उपयोग की गई वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति के साथ-साथ रुग्ण और बंद किए गए संकुलों का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संकुलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और बंद किए गए समूहों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): जी हां, सरकार ने देशभर में मेंटरशिप विकास कार्यक्रम के तहत 65 व्यवहार्य शिल्प संकुलों (कलस्टरों) को अपनाने की पहल की है और वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान इन कलस्टरों को आवश्यकता आधारित इंटरवेंशंस प्रदान किए गए ताकि 03 वर्षों की अवधि में इन कलस्टरों के स्वावलंबन समूहों/कारीगरों की निरंतरता सुनिश्चित करने के द्वारा इनका रूपांतरण किया जा सके। संकुलों (कलस्टरों) का चयन इस रीति से किया गया है कि 14 महत्वाकांक्षी जिलों में हैं, 16 महिला कारीगरों के कलस्टर हैं, 11 अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य कारीगरों के कलस्टर हैं, 11 अनुसूचित जाति कारीगरों के कलस्टर हैं, 9 अनुसूचित जनजातियों के कलस्टर हैं और 4 जीआई (जिओग्राफ़िकल इंडिकेशंस) शिल्प के कलस्टर हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा 145 कलस्टरों को भी लाभ प्रदान किए गए हैं। विस्तृत वित्तीय एवं अन्य सूचनाएँ अनुबंध-I पर संलग्न है।

(घ) से (ङ): योजना का मूल्यांकन आरंभ किया गया है और सुझावों पर ध्यान दिया जा रहा है। तदनुसार, विभिन्न शिल्प पॉकेटों में संशोधनों के साथ इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार, देशभर में कारीगरों के अधिकाधिक लाभ और उनके समग्र विकास के लिए, निरंतर व्यवहार्य शिल्प संकुलों (कलस्टरों) पर कार्य कर रही है।

अनुबंध-I

दिनांक 05.02.2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 824 के भाग-(क) से (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

स्वीकृत इंटरवेंशन (2018-2021)

क्रमांक	राज्य	लाभार्थियों की संख्या		
		सामान्य/ओबीसी	अनु.जा./अनु.ज.जा.	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1330	130	1460
2.	आंध्र प्रदेश	2695	255	2950
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	2730	2730
4.	असम	5410	790	6200
5.	बिहार	2655	420	3075
6.	छत्तीसगढ़	1165	240	1405
7.	गोवा	500	0	500
8.	गुजरात	7050	1050	8100
9.	हरियाणा	1133	150	1283
10.	हिमाचल प्रदेश	1600	210	1810
11.	जम्मू एवं कश्मीर	5770	0	5770
12.	झारखंड	2149	280	2429
13.	कर्नाटक	2480	270	2750
14.	केरल	1340	180	1520
15.	लद्दाख	0	500	500
16.	मध्य प्रदेश	6380	820	7200
17.	**महाराष्ट्र**	**10049**	**1300**	**11349**
18.	मणिपुर	1305	240	1545
19.	मेघालय	1700	100	1800
20.	मिज़ोरम	0	1000	1000
21.	नागालैंड	0	1400	1400
22.	नई दिल्ली	1275	130	1405
23.	ओडिशा	2745	310	3055
24.	पुदुचेरी	610	50	660
25.	पंजाब	1430	170	1600
26.	राजस्थान	3968	650	4618
27.	सिक्किम	1060	100	1160
28.	**तमिलनाडु**	**1640**	**220**	**1860**
29.	तेलंगाना	2900	350	3250
30.	त्रिपुरा	1380	140	1520
31.	उत्तर प्रदेश	8830	1260	10090
32.	उत्तराखंड	1675	230	1905
33.	पश्चिम बंगाल	2858	180	3038
कुल योग		**85082**	**15855**	**100937**

वर्ष-वार ब्यौरे			
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
स्वीकृत राशि (रुपए में)	11,25,75,100	9,25,14,720	6,70,57,500
लाभार्थियों की कुल संख्या	49737	10630	40570

***